समाहरणालय मधुबनी
(जिला सामान्य शाखा)

पत्र संख्या 48 / जि0सा0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

सेवा मे,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार पटना ।

मधुबनी, दिनांक 7 जनवरी, 2011 ई0 ।

विषय:– अनुमण्डल कार्यालय, झझारपुर के स्थायी भवन निर्माण की स्वीकृति देने एव आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि मधुबनी जिले के झझारपुर अनुमण्डल की स्थापना वर्ष 1972 में हुई है, किन्तु अभीतक स्थाई भवन का निर्माण नहीं किया गया है । वर्तमान मे अनुमण्डल कार्यालय एवं अनुमण्डल स्तरीय अन्य कार्यालय अस्थायी भवन में कार्यरत है । उक्त भवन की स्थिति जीर्ण–शीर्ण हो गई है जिससे न केवल अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी को कार्य करने में कठिनाई हो रही है बल्कि आम जनता को भी काफी कठिनायाँ हो रही है । इसी प्रकार अनुमण्डल न्यायालय सबधी कार्यों एवं अभिलेखों के रख–रखाव मे भी कठिनाई हो रही है । उल्लेखनीय है कि झझारपुर अनुमण्डल कार्यालय परिसर मे भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है । कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी से प्राप्त सूचनानुसार फुलपरास अनुमण्डल कार्यालय के निर्माणाधीन भवन की पूर्व दर पर मानक प्राक्कलित राशि 210.00 लाख है, जिसमे वर्तमान दर पर 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी आवश्यक हैं । इस प्रकार नये भवन के निर्माण पर लगभग 250.00 लाख रू0 की आवंटन की आवश्यकता होगी ।

अतएव अनुरोध है कि झंझारपुर अनुमण्डल कार्यालय के लिए नये स्थायी भवन निर्माण योजना की स्वीकृति देने की कृपा की जाए । साथ ही संबंधित विभाग/कार्यकारी एजेंसी को तदनुरूप 250.00 लाख रू0 का आवंटन देने की कृपा की जाए, ताकि भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके ।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

पत्र संख्या–5/बजट (भ0 नि0) 5–02/11–सा0– .... /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषय :– वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना मद में झंझारपुर अनुमंडल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल ₹ 3,15,67,771/–(तीन करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार सात सौ इकहत्तर) रूपये मात्र के स्थूल प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 2190 दिनांक 17.3.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010 –11 में राज्य योजना मद में झंझारपुर अनुमंडल के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल ₹ 3,15,67,771/–(तीन करोड़ पन्द्रह लाख सड़सठ हजार सात सौ इकहत्तर) मात्र के स्थूल प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है ।

2. इस राशि के व्यय का विकलन बजट शीर्ष–4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय– 800–अन्य व्यय–0101–समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण (कार्मिक विभाग के लिए) 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–पी. 4070008000101 मांग संख्या–33 राज्य योजना स्कीम कोड– GEN–5516 के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2010 –11 में होगा।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव (लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4. वित्त विभाग के पत्र संख्या 8263 दिनांक 2.8.2010, 8244 दिनांक 2.8.2010 एवं 9626 दिनांक 3.9.2010 में ए.सी.विपत्र के माध्यम से राशि की निकासी पर लगे रोक संबंधी प्रावधानों को वित्त विभाग के पत्रांक 689 दिनांक 24.1.2011 (प्रति संलग्न) द्वारा शिथिल किये जाने के फलस्वरुप राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से अग्रिम के रुप में की जायगी तथा भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके डिपोजिट शीर्ष 8782 (विपत्र कोड– के. 8782001020002) से कार्य कराने के लिये की जायगी।

5. यह राशि राज्य योजना उद्व्यय के अन्तर्गत है।

6. राशि के व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायगी।

7. राशि की स्वीकृति भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 1215 दिनांक 11.02.2011 द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दी गयी है।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9. विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0: उपरोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव